राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

कॉरपोरेट आईडेन्टिटी नम्बर (सी. आई. एन.)–U40102RJ2000SGC016484

पंजीकृत कार्यालय एवं मुख्यालयः विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर–302005

क्रमांक :– रा.रा.वि.उ.नि./का. एवं प्रशा. (संस्थापन)/प. 2(3) /प्रे. 528 दिनांक : 1/8/2019

आदेश

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के मृत कर्मचारियों के निम्नांकित आश्रितों को अनुकम्पात्मक आधार पर उनके नाम के आगे अंकित पद पर प्रथमतः दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नीचे दर्शायी गई शर्तों एवं नियमों पर नियुक्ति प्रदान कर उनके नाम के आगे इंगित अधिकारी के अधीन आगामी पदस्थापना हेतु रखा गया है :–

क्र. सं.	आश्रित का नाम एवं मृतक कर्मचारी का नाम	श्रेणी	पदनाम	जन्म दिनांक	अधिकारी जो पदस्थापन करेगें
1.	श्रीमती स्वाती चौहान पत्नी स्व. श्री प्रवीण चौहान	सामान्य	कनिष्ठ सहायक	10.10.1990	मुख्य लेखानियन्त्रक (मुख्यालय–प्रथम), जयपुर
2.	श्री ओम प्रकाश पुत्र स्व. श्री गुलाब चन्द	अनुसूचित जाति	सहायक द्वितीय	19.08.1983	मुख्य अभियंता (केटीपीएस), कोटा

<u>नियत मासिक पारिश्रमिक/वेतन श्रृंखला:–</u>

निम्नानुसार परिवीक्षाकाल में इन्हें निगम के आदेश क्रमांकः राराविउनि/का.एवं प्र./प.7th पीसी/ प्रे. 324 दिनांक 01.01.2018 द्वारा निर्धारित मासिक पारिश्रमिक देय होगा:–

क्र. सं.	पदनाम	मासिक नियत पारिश्रमिक (रूपये)
1.	कनिष्ठ सहायक	14,600/–
2.	सहायक द्वितीय	12,600/–

परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को परिवीक्षा काल में केवल नियत पारिश्रमिक देय होगा एवं विशेष वेतन, मंहगाई वेतन, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मकान किराया भत्ता, परियोजना भत्ता एवं अन्य भत्ते जो किसी भी नाम से जाने जाते हों, देय नहीं होंगें। इसी प्रकार जहां निर्धारित गणवेश पहनना विधिक रूप से अनिवार्य हो, को छोडकर गणवेश भी देय नहीं होगी। परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूरा करने पर निम्नानुसार वेतनमान देय होगा :–

क्र. सं.	पदनाम	पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या
1.	कनिष्ठ सहायक	L-5 न्यूनतम वेतन 20,800/–
2.	सहायक द्वितीय	L-2 न्यूनतम वेतन 17,900/–

नियम एवं शर्ते :–

1. नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षाकालावधि पर अस्थाई है। सक्षम अधिकारी द्वारा सेवाकाल में वृद्वि नियुक्त व्यक्ति का कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक पाये जाने पर ही की जायेगी।
2. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त आश्रित को दो वर्ष की परिवीक्षाकाल के दौरान, निम्नलिखित Computer proficiency योग्यताओं में से किसी एक को, यदि पूर्व में अर्जित नहीं की गई है तो, अर्जित करना अनिवार्य होगा। यदि वह उक्त अवधि में कंप्यूटर योग्यता अर्जित नहीं करता है, तो जितनी विलम्ब अवधि से वह कंप्यूटर योंग्यता अर्जित करेगा, उसका परिवीक्षाकाल उतनी ही अवधि का आगे बढ़ जावेगा:–

शैड नं. 1, कमरा नं. 7, विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर–302005,

दूरभाषः 0141–2743184, फैक्सः 0141–2741352, ई–मेल :porvun@rediffmail.com, वेबसाइटः www.energy.rajasthan.gov.in/rvunl

(i) "O" or Higher Level Certificate Course conducted by DOEACC under control of the Department of Electronics, Government of India.

Or

(ii) Computer Operator & Programming Assistant (COPA)/Data Preparation and Computer Software (DPCS) certificate organized under National/State council of Vocational Training Scheme.

Or

(iii) Diploma in Computer Science/Computer Applications from a university established by Law in India or from an institution recognized by the Government.

Or

(iv) Diploma in Computer Science & Engineering from a Polytechnic Institution recognized by the Government.

Or

(v) Rajasthan State Certificate Course in Information Technology (RSCIT) conducted by Vardhaman Mahaveer Open University, Kota under control of Rajasthan Knowledge Corporation Limited.

Or

(vi) CIT/CIT/ from IGNOU.

3. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त उपरोक्त आश्रित को तीन वर्ष के भीतर भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा, आयोजित (हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक विषय में) "कंम्प्यूटर टाईप टेस्ट" उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर उसकी नियुक्ति समाप्त होने के दायित्वाधीन होगी। जब तक वह ऐसी अर्हता अर्जित नहीं कर लेता/लेती है, तब तक उसे कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी। "कम्प्यूटर टाईप टेस्ट" उत्तीर्ण करने पर उसे नियुक्ति की तारीख से काल्पनिक रूप से वेतन वृद्धियां दी जायेंगी किन्तु कोई बकाया देय नहीं होगा। इस बाबत् भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.5 (38)/निभापुवि/जय/टं.प.–कम्प्यु. प./10/4467 दिनांक 21.09.2012, जो कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में आदेश क्रमांक रा.रा.वि.उ.नि./का. एवं प्रशा./प. बीओडी/प्रे. 542 दिनांक 14.03.2013 द्वारा लागू किये गये है, द्वारा जारी आदेश प्रभावी होगें।

4. कार्यग्रहण करते समय नियुक्त व्यक्ति, प्राधिकृत चिकित्सक, जो जिला चिकित्सा अधिकारी के स्तर से कम नहीं होगा, द्वारा दिया गया आरोग्यता चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा। जिस मामले में पदधारी पूर्णतया आरोग्य होगा एवं कार्य पर उपस्थित हो जावेगा, उसे चिकित्सा परीक्षण हेतु दिये गये शुल्क की पूर्ति (प्रतिभूति) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा की जावेगी।

5. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।

6. कार्यग्रहण करते समय नियुक्त व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेज एवं मूल प्रमाण–पत्र संवीक्षा के लिए एवं उनकी सत्यापित प्रतियां कार्यालय अभिलेख हेतु प्रस्तुत करनी होगी:–

(i) 500/– के नान् ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर बॉण्ड/बाध्य पत्र, प्रपत्र–अ एवं जमानती के बतौर किसी केन्द्र/राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी अथवा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के कर्मचारी से प्रपत्र–ब के अनुसार बॉण्ड/बाध्य पत्र।

(ii) शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र एवं जन्म तिथि प्रमाण–पत्र।

(iii) दो उत्तरदायी व्यक्तियों/राजपत्रित अधिकारियों द्वारा दिया गया चरित्र प्रमाण–पत्र।

(iv) अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग /शारीरिक रूप से विकलांगता का प्रमाण–पत्र, अगर इस वर्ग से संबंधित हो तो।

(v) पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन हेतु प्रपत्र दो प्रतियों में भरकर।

(vi) शपथ–पत्र– दिवगंत कर्मचारी का कोई भी आश्रित (पत्नि/पति, पुत्र, अविवाहित पुत्री, दत्तक पुत्र/पुत्री) केन्द्र या राज्य सरकार में अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो– के अधीन पहले से ही नियोजित नहीं है। मृतक कर्मचारी की पत्नि के नियुक्ति प्रकरण में यह शर्त लागू नहीं होगी।

(vii) बाध्य पत्र (अंडरटेकिंग) – कि वह मृतक कर्मचारी के अन्य आश्रित सदस्यों का भलीभांति पालन पोषण करेगा एवं उनका उचित ढंग से ध्यान रखेगा।

(viii) बाध्य पत्र (अंडरटेकिंग) – कि वह धूम्रपान एवं तम्बाकु/ गुटखा सेवन नहीं करता है/करती है। (प्रपत्र–स)

(ix) यदि उपरोक्त आश्रितों में कोई विवाहित हैं तो उन्हें सक्षम अधिकारी का विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह शर्त विधवाओं पर लागू नहीं होगी।

(x) नियुक्ति आदेश की प्रतिलिपि पर स्वलिखित एवं हस्ताक्षरित स्वीकृति जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा हो कि "मैंने अपने नियुक्ति आदेश की नियम एवं शर्तों को भलीभांति पढ़ एवं समझ लिया है तथा मैं उन सभी नियमों एवं शर्तों को स्वीकार करता हूँ"।

7. निगम की आवासीय कॉलोनी में आवास उपलब्ध होने पर नियुक्त व्यक्ति को नियमों के अनुसार नियत मासिक पारिश्रमिक को मूल वेतन मानते हुए साधारण किराये की दर से आवास आवंटित किया जा सकेगा।

8. यदि नियुक्त परीवीक्षाधीन प्रशिक्षु कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन नहीं आता हो तो वह मेडीक्लेम बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत चिकित्सा पुर्नभरण राशि नियमों के अनुसार प्राप्त कर सकेगा।

9. नियुक्त व्यक्ति निगम की भविष्य निधि योजना (सीपीएफ) के सदस्य होंगे एवं इनके वेतन से पीएमसीएफ की कटौती नहीं की जायेगी।

10. i परिवीक्षा अवधि के दौरान नियुक्त व्यक्ति को एक केलेण्डर वर्ष में 15 एवं इससे कम अवधि के लिए इसी अनुपात में आकस्मिक अवकाश देय है।

ii प्रत्येक 20 दिन के लिए एक उपार्जित अवकाश देय होगा जोकि एक केलेण्डर वर्ष में अधिकतम 18 दिन देय होगा।

iii सेवा समाप्ति अवकाश (टर्मिनल लीव) देय होगा।

11. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में कार्यग्रहण करने हेतु की गई यात्रा के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। कार्य पर रहते हुए की गई यात्रा के लिए नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं परिवीक्षा काल के दौरान स्थानांतरण पर मासिक नियत पारिश्रमिक के आधार पर माइलेज भत्ता एवं इंसीडेंटल चार्जेज ही देय होंगे।

12. नियुक्त व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय एक माह की लिखित सूचना अथवा उसके बदले में एक माह का नियत मासिक पारिश्रमिक/वेतन (विशेष वेतन यदि कोई हो तो) तथा मंहगाई वेतन/भत्ता देकर समाप्त की जा सकती है। किन्तु दुराचार/कदाचार तथा पुलिस द्वारा चरित्र संबंधी प्रतिवेदन पक्ष में नही होने के मामले में सेवायें समाप्त की जावेगी, तब किसी प्रकार की लिखित सूचना अनिवार्य नहीं है।

13. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर ली गई विभागीय परीक्षा यदि कोई हो तो में असफल रहने पर उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।

14. नियुक्त व्यक्ति को आवश्यकतानुसार निगम के कार्य क्षेत्र में कहीं भी पदस्थापित किया जा सकता है।

15. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने पर प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा।

16. उपरोक्त नियुक्त किये जा रहे मृतक कर्मचारी के आश्रित से एक प्रमाण–पत्र लिया जावेगा कि क्या मृतक कर्मचारी के परिवार के किसी भी सदस्य को भृतिलाभ दिया जा रहा है अथवा नहीं। यदि भृति लाभ दिया जा रहा है तो भृतिलाभ बंद करने हेतु उस कार्यालय को तुरन्त सूचित करें जहां मृतक कर्मचारी कार्यरत था तथा उसकी सूचना इस कार्यालय को अवश्य भिजवायें।

17. पदस्थापन आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह के अन्दर कार्यस्थल पर उपस्थित होकर कार्यग्रहण करें। निर्धारित अवधि के अन्दर उपस्थित नहीं होने पर यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वतः ही समाप्त हो जावेगा।

18. यदि किसी समय यह बात साबित हुई कि नियुक्त कर्मचारी अन्य आश्रित सदस्यों की उपेक्षा कर रहा है या उनका उचित ढंग से ध्यान नहीं रखा जा रहा है तो नियोक्ता अधिकारी उसे एक अवसर देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने के पश्चात्, उसकी सेवायें समाप्त कर सकेगा।

सम्बन्धित अधिकारी, नियुक्त कर्मचारी के कार्यग्रहण करने की सूचना अविलम्ब इस कार्यालय को भिजवाये।

आदेशानुसार,

अनुलग्नकः– उपरोक्तानुसार

1/8/2019

(आलोक शर्मा)
मुख्य कार्मिक अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक (तकनीकी/परियोजना/वित्त), राराविउनि, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (के.टी.पी.एस.)/मुख्य लेखानियन्त्रक (मुख्यालय–प्रथम) रा.रा.वि.उ.नि., कोटा/जयपुर, को एक अतिरिक्त प्रति प्रेषित कर लेख है कि वर्णित व्यक्ति को कार्यग्रहण करवाये जाने से पूर्व पुलिस से चरित्र सत्यापन एवं अन्य दस्तावेज यथा शैक्षणिक योग्यता एवं जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर वर्णित व्यक्ति का रिक्त पद पर पदस्थापना आदेश जारी कर इस कार्यालय को सूचित करें। इसके साथ अभ्यार्थियों के प्रार्थना पत्र एवं अन्य प्रपत्र संलग्न किये जा रहे हैं। कृपया इन अभ्यार्थियों के चरित्र की जांच पुलिस से (पुलिस एन्टीसीडेन्टस) अपने स्तर पर भी करवा ले।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (   ), रा.रा.वि.उ.नि.,
4. उप सचिव (पेंशन), रा.रा.वि.उ.नि., जयपुर।
5. सहायक अभियन्ता (वेबसाइट मोनेटरिंग), राराविउनि, जयपुर को उक्त आदेश अपलोड करने हेतु।
6. श्री/श्रीमती/कुमारी
7. कार्यालय पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली।

1/8/2019

(विशाल मल्होत्रा)
कार्मिक अधिकारी (संस्थापन–द्वितीय)

APPENDIX – 'A'

BOND FOR THE POST OF ____________________ TO BE EXECUTED BEFORE JOINING IN RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
(On Non-Judicial Stamp Paper of Rs.500/-)

KNOW ALL MEN that I, ________________ S/D of Shri ______________, Age________, Resident of ________________ hereby agree to execute this Bond in full sense, and knowledge as follows :-

1. I,______________, been selected as Probationer Trainee on the post of '______________' under the order No. ____________ dated ________ of Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd. **(in short RVUN)**, bind myself that I will diligently, faithfully and to the best of my ability undergo the training as Probationer Trainee as well as all other trainings arranged by RVUN, and conduct and behave honestly, orderly and obediently towards my superiors and management of RVUN and will not leave trainings at any time before completion thereof and will not commit any act of misconduct during the training period.

2. I bind myself that I will not leave my training/ service or resign and will not engage directly or indirectly in any trade/ business/ occupation till the end of period of 'Probation-Training' and within one year after completion of Probation-Training.

3. In consideration of being sent on any other training (other than Probation training), I bind myself to serve RVUN during as well as after completion of training(s) for a minimum period of one year if the training is for a period exceeding three months but upto six months, and for two years if it exceeds six months.

4. In case of my any act contrary to or default of any provision stipulated at para 1, 2 & 3 above, I bind myself and my heirs, executors and administrators to pay to RVUN, on demand, all emoluments/ pay & DA, including expenses incurred on me during my training periods (excluding traveling & daily allowance), subject to maximum of Rs.2,00,000/- (Rupees Two lac) only and any other amount that may be due to RVUN, together with interest @ 12% per annum from the date of demand to the date of payment in lump-sum in the event of following eventualities :-

   a) In case, I fail to take due interest in the Probation Training or any other training arranged by RVUN.
   b) In case my attendance during the training period, at the place where my name has been nominated/ sponsored, falls below 80% of the total training days.
   c) In case of serious misconduct on my part during the training period.
   d) In case I leave the Probation training or any other training arranged by RVUN at any time before completion of full period of training or quit service before the period as detailed in para-2 and 3 above.

5. In case, after completion of 3 years' period and also during any period otherwise not covered by para 1, 2 & 3 above, I resign or leave service of RVUN without giving three months' notice in writing to the Chairman & Managing Director, I bind myself to pay the amount of salary for the notice period falling short of 3 months' as compensation to RVUN and in case of any default, the amount may be deducted from any money due to me.

6. I further bind myself that the decision of Chairman & Managing Director, RVUN or any officer nominated by him as to the correct interpretation of the Bond, rules & regulations, etc. and as to whether I have or have not observed and complied with obligations herein recited, shall be final and binding upon me.

In case I, ___________ leave services of RVUN before expiry of the minimum period of Probation Training or any other training or service, as prescribed in this bond, I will be under the obligation to refund the entire amount of expenses incurred on me (excluding traveling & daily allowance) subject to maximum of Rs. 2,00,000/- (Rupees Two lac) only and any other amount that may be due to RVUN, as per the undertaking given by me herein above, together with interest @ 12% per annum from the date of demand to the date of payment in lump-sum as certified by the concerned Chief Accounts Officer/ Sr. Accounts Officer/ Accounts Officer).

Signed & delivered by the
above bonded person

Witness -

1. Signature ____________________
   Name ____________________
   Occupation ____________________
   Address ____________________
   ____

2. Signature ____________________
   Name ____________________
   Occupation ____________________
   Address ____________________
   ____

Accepted:- For and on behalf of the Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd.

Place ____________
Date ____________

Jt. Director (Per. & Admn.)

SURETY TO BE GIVEN BY AN EMPLOYEE OF CENTRAL/ STATE GOVERNMENT OR PUBLIC UNDERTAKING GETTING PAY IN PAY MATRIX LEVEL-10 (OLD GRADE PAY Rs. 3600/-) OR ABOVE ON NON-JUDICIAL STAMP PAPER OF RS.500/-

I ______________ S/D of Shri ______________ Age _________ Resident of ______________ working as (Designation) _______, Deptt. ______________ and getting Pay in Pay Matrix Level-___________ do hereby stand this surety in respect of Shri/Ms. ____________ S/D of Shri ______________ appointed as Probationer Trainee on the post of _____________, vide order No. ____________ dated __ ____ of Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd. **(in short RVUN)**, and posted in the office of ____________________, and agree to execute this bond in full sense and knowledge as follows :-

1. That Mr./Ms. ___________ will diligently, faithfully and to the best of his/ her ability undergo the training as Probationer Trainee as well as all other trainings arranged by RVUN, and conduct and behave himself/ herself honestly, orderly and obediently towards his/ her superiors and management of RVUN and will not leave trainings at any time before completion thereof and will not commit any act of misconduct during the training period.

2. That Mr./Ms. __________ will not leave training/ service/ resign and will not engage directly or indirectly in any trade/ business/ occupation till the end of the period of 'Probation-Training' and within one year after completion of Probation Training.

3. In consideration of Mr./Ms. _________ being sent on training I undertake that Mr./Ms. __________ will serve RVUN after completion of training(s) for a minimum period of one year if the training is for a period exceeding three months but upto six months and for two years if it exceeds six months.

4. That if Mr./Ms.___________ will indulge in any act contrary to any surety given by me at para 1, 2 and 3 above, I bind myself and my heirs, executors and administrators to pay to RVUN, on demand, all emoluments/ pay & DA, including expenses incurred on him/her during such training periods (excluding traveling & daily allowance), subject to maximum of Rs. 2,00,000/- (Rupees Two lac) only and any other amount that may be due to RVUN, together with interest @ 12% per annum from the date of demand to the date of payment in lump-sum in the event of following eventualities :-

   a) In case, he/she fails to take due interest in the Probation Training or any other training arranged by RVUN.
   b) In case his/ her attendance during the training period, at the place where his/ her name has been sponsored, falls below 80% of the total training days.
   c) In case of serious misconduct on his/ her part during the training period.
   d) In case he/ she leaves the Probation training or any other training arranged by RVUN at any time before completion of full period of training or quit service before the period as detailed in para-2 and 3 above.

5. I further bind myself that the decision of Chairman & Managing Director, RVUN or any officer nominated by him as to the correct interpretation of the Surety Bond, rules & regulations, etc. and as to whether Mr./ Ms. ____________ has or has not observed and complied with obligations herein recited, shall be final and binding upon me.

In case Mr./Ms.______________ leaves services of RVUN before expiry of the minimum period of Probation training or any other training or service as prescribed in this Surety and Bond, I will be under obligation to refund the entire amount of expenses incurred on him/ her (excluding traveling & daily allowance) subject to maximum of Rs. 2,00,000/- (Rupees Two lac) only and any other amount that may be due to RVUN, as per the surety given by me herein above, together with interest @ 12% per annum from the date of demand to the date of payment in lump-sum as certified by the concerned Chief Accounts Officer/ Sr. Accounts Officer/ Accounts Officer).

Signature of Surety with rubber
stamp of Designation & Office

Witness: -

1. Signature ____________________
   Name ____________________
   Occupation ____________________
   Address ____________________
   ____

2. Signature ____________________
   Name ____________________
   Occupation ____________________
   Address ____________________
   ____

Accepted: - For and on behalf of the Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd.

Place ____________
Date ____________

Jt. Director (Per. & Admn.)

APPENDIX - C

वचनबंध प्रपत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री श्री ....

.... निवासी ....वचनबद्ध हूँ

कि मैं धूम्रपान एवं तम्बाकु/ गुटखा सेवन नहीं करता हूँ/करती हूँ।

हस्ताक्षर
वचनबद्धकर्ता